

मनी म्यूल यानी वह व्यक्ति जो अवैध रूप से प्राप्त पैसों को किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कहीं ट्रांसफर करता है या भेजता है।

मनी म्यूल न बनें!



आपका बैंक खाता = आपकी पूंजी

- पैसे ट्रांसफर करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को अपना बैंक खाता इस्तेमाल न करने दें।
- अगर कोई अन्य व्यक्ति आपके बैंक खाते के ज़रिए पैसा प्राप्त करता है या भेजता है तो आपको जेल हो सकती है।
- अपने बैंक खाते की जानकारी, ओटीपी या पासवर्ड किसी को न बताएं।



आपके खाते की सुरक्षा,
आपकी सुरक्षा।

अवैध कमाई के जाल
में न फंसें।



क्यूआर कोड स्कैन करें।

अधिक जानकारी के लिए
देखें <https://rbikehtahai.rbi.org.in>
अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए rbikehtahai@rbi.org.in पर भेजें।

आधिकारिक व्हाट्सएप
नं. 99990 41935 / 99309 91935



जनहित में जारी
भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in